राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 3 (7) शिक्षा–4/2014 पार्ट जयपुर, दिनाकः 05.07.2020

1. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. कुलपति, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
3. कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
6. कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
7. कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
9. कुलपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
10. कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
11. कुलपति, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
12. कुलपति, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
13. कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
14. कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः– विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की स्थगित परीक्षाओं बाबत।
संदर्भः– विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 3.6.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 3.6.2020 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा विस्तृत कार्ययोजना बनाकर विश्वविद्यालय की स्थगित परीक्षाएं स्थिति सामान्य होने पर कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए जुलाई मध्य से करवाने हेतु लिखा गया था।

चूंकि कोविड–19 के संदर्भ में स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। संक्रमितों का मिलना जारी है। इस संदर्भ में दिनांक 4.7.2020 को मा0 मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई उच्च स्तरीय मीटिंग में कोरोना महामारी के संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं करवाई जाएंगी। विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंकों के निर्धारण के संबंध में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आगामी कुछ दिनों में जारी होने वाले दिशा–निर्देशों का अध्ययन कर समुचित निर्णय से अवगत करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की प्रति संदर्भ हेतु संलग्न है।

अतः तदनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(शुचि शर्मा)
शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, मा0 कुलाधिपति एवं राज्यपाल राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
5. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. कुलसचिवगण, समस्त संबंधित राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय।
7. कुलसचिवगण, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा